फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :— तुलछा बाई
विपक्षी :— श्यामलाल

किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि.
पत्रावली संख्या : 13/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजपत्रकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3 सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या [illegible] अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जातई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि का विकास करने व फसलों की सुरक्षा के लिये तारबंदी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के मध्य पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगाँव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078—81 की खाता संख्या नया 263 की आराजी नम्बर 536, 537, 538, 539 किता 04 रकबा 2.2400 हेक्टेयर भूमि की दक्षिणी सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। [illegible] प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय [illegible] राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी [illegible] की कार्यवाही न [illegible] पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को [illegible] शुमार [illegible] से कम हो। फीस कमिश्नर राशि [illegible] करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर